



**RIGHT TO  
INFORMATION**

## म.प्र उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

फॉर्म- डी

अस्वीकृति आदेश

(कृपया नियम 4(2) देखें)

No.RTIA/DR-HCIND/267

द्वारा,

डिली रजिस्ट्रर,

राज्य लोक सूचना अधिकारी,

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,

खण्डपीठ इन्दौर (म0प्र0)

प्रति,

श्री विजय सिंह यादव,

संस्थापक एवं अध्यक्ष,

जय कुलदेवी सेवा समिति रतलाम,

40, लक्ष्मी नगर, रतनेश्वर लोड,

रतलाम (म0प्र0)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में आपका आवेदन (नौन ज्यूडीशियल रसायन 50/- रु0) आवक क्रमांक 257 दिनांक 01/02/2018 के माध्यम से प्राप्त हुआ है जो कि हमारे आई.डी. संख्या 64/2017-18 दिनांक 01/02/2018 में पंजीकृत किया गया है, के संबंध में आपको यूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वांछित जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :-

1- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 गठित किया है जिसके नियम 7(1) के अनुसार एक भारतीय नागरिक आवेदक को 50/- रु0 थुल्क का भुगतान भारतीय न्यायिक रसायन/देशी चालान संलग्न करके फार्म "ए" पर आवेदक की रख्य की रवः हस्ताक्षरित तर्सीर चिपकाना आवश्यक है। आपने ख्य की रखहस्ताक्षरित लगी हुई तर्सीर वाला फॉर्म नंबर "ए" न प्रस्तुत करते हुए केवल 50/- रु0 का नौन ज्यूडीशियल रसायन प्रस्तुत किया है और 50/- रु0 के नौन ज्यूडीशियल रसायन पर ही याही गई जानकारी को टंकित किया है जो कि नियमानुसार सही नहीं है।

2- यह कि आपके द्वारा 50/- रु0 का नौन ज्यूडीशियल रसायन लिफाफे में स्पीड पोस्ट नंबर EI 73758550 3IN के द्वारा प्राप्त हुआ है। लिफाफे में आपने प्रिंसिपल ऐंजिस्ट्रार / लोक सूचना अधिकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इंदौर (म0प्र0) नाम संबोधित किया है एवं 50/- रु0 का नौन ज्यूडीशियल रसायन पर लोक सूचना अधिकारी नाम संबोधित किया है जो कि नियमानुसार अमान्य है।

3- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) 2006 के नियम 3(2) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मत के लिए किया जाना चाहिए जबकि आपके द्वारा उक्त 50/- रु0 के नौन ज्यूडीशियल रसायन पर एक से अधिक सूचनाएं मांगी गई हैं।

4- चंकि 50/- रु0 के नौन ज्यूडीशियल रसायन में टंकित नियाकृत प्रकरण डब्ल्यू.पी. 1183/2016 के संबंध में) याही गई जानकारी (सूचना का अधिकार नियम 2006) के नियम 8(1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी देने हेतु बाध्य नहीं है, जो कि म0प्र0 उच्च न्यायालय नियम 2006 के चेप्टर 18 के अनुसार इस खण्डपीठ के कोर्पिंग सेवकान में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करके तथा कोर्पिंग फीस अदा करके प्राप्त की जा सकती है।


अविरत...  
2/2018



...2...

इस प्रकार, उपरोक्त कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वाया आपके आवेदन को निरस्त किया जा रहा है।

युचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिसिपल रजिस्ट्रर) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खड़पीठ इन्डौर) को अपील कर सकते हैं।



(राजेश कुमार शर्मा)  
डिपीरजिस्ट्रर /  
राज्य लोक सूचना अधिकारी